



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052020-219617
CG-DL-E-28052020-219617

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1477]
No. 1477]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ठ 5, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISHTHA 5, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

का.आ. 1644(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4421(अ) तारीख 09 दिसम्बर, 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 10 दिसम्बर, 2019, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तमिलनाडु राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश) से धर्मपुरी (तमिलनाडु) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 17.02.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला: कृष्णगिरी

राज्य: तमिलनाडु

क्रम सं.	गाँव का नाम	तालुक का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
				हैक्टर	एयर	व.मी
1	वरत्तानापल्ली	बरगुर	606	0	06	44
2			605	0	27	00
3			604	0	11	62
4			602	0	12	99
5			611	0	22	83
6			600	0	29	51
7			599	0	10	61
8			597	0	26	98
9			578	0	10	83
10			579	0	40	41
11			572	0	25	29
12			571	0	14	19
13			676	0	12	73
14			675	0	23	68
15			674	0	09	89
16			673	0	18	40
17			654	0	11	18
18			653	0	04	01
19			656	0	13	61
20			657	0	04	41
21			659बी	0	09	46

[फा. सं. आर-11025(15)4/2018-ओआर-I/ई-25410]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2020

S.O. 1644(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4421(E) dated the 09th December, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 10th December 2019 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Product, from Vijayawada (Andhra Pradesh) to Dharmapuri (Tamil Nadu) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 17.02.2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**District : Krishnagiri****State : Tamilnadu**

Sl. No.	Name of Village	Name of Taluk	Survey No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.m
1	Varattanapalli	Bargur	606	0	06	44
2			605	0	27	00
3			604	0	11	62
4			602	0	12	99
5			611	0	22	83
6			600	0	29	51
7			599	0	10	61
8			597	0	26	98
9			578	0	10	83
10			579	0	40	41
11			572	0	25	29
12			571	0	14	19
13			676	0	12	73
14			675	0	23	68
15			674	0	09	89

16			673	0	18	40
17			654	0	11	18
18			653	0	04	01
19			656	0	13	61
20			657	0	04	41
21			659B	0	09	46

[F. No. R-11025(15)/4/2018-OR-I/E-25410]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.